उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

द्वितीय राज्य वित्त आयोग

(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय)
(वर्ष 2006–2011)

के

प्रतिवेदन

की

संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा
की गई कार्यवाही का

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के सम्बंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही के सम्बंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।

संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) तथा 243 (वाई) में इंगित व्यवस्थानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु प्रदेश में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 30 अप्रैल,2005 को किया गया था। आयोग ने 01 अप्रैल,2006 से मार्च,2011 तक 05 वर्षों की अवधि में प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध स्वयं के राजस्व से संक्रमित की जाने वाली धनराशि तथा इनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन 06 जून 2006 को महामहिम श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया जिसमें निहित संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल,2006 से निम्नवत कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय संक्रमण की संस्तुतियों पर स्पष्टीकारक ज्ञापन पूर्व में दिनांक 05 अक्टूबर 2006 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

संस्तुति की संख्या	आयोग की संस्तुतियाँ	राज्य सरकार का निर्णय
1.	राज्य सरकार को स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की जमानत देने से बचना चाहिए तथा वित्तीय संस्थानों को स्थानीय निकायों के ऋण के प्रस्तावों का गुणावगुणों तथा ऋण गृहीता की ऋण पात्रता का स्वतंत्र रूप से मूल्याँकन करना चाहिए। (प्रस्तर 2.20)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
	राज्य वित्त	
2.	राज्य के निज कर राजस्वों को 23.5 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर प्राप्त करना चाहिए। (प्रस्तर 3.14)	संस्तुति स्वीकार की गयी। तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है।

3.	राज्य को बाजार से उधारी पर न्यूनतम सीमा तक रोक लगानी चाहिए तथा इसे व्यावहारिक स्तर पर रोक कर रखना चाहिए ताकि बकाया देनदारियों को जितना सम्भव हो कम किया जा सके एवं राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। (प्रस्तर 3.15)	बाजार से उधार लेने की सीमा वित्त मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
4.	सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में संचालन तथा अनुरक्षण लागत वसूली वर्ष 2006–07 के व्ययों की 10 प्रतिशत पर निश्चित की जानी चाहिए तथा यह प्रति वर्ष कम से कम 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़नी चाहिए ताकि वर्ष 2010–11 तक यह 25 प्रतिशत के आस–पास पहुँच सके। (प्रस्तर 3.17)	संज्ञान में लिया। सिंचाई विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
5.	विभिन्न सेवाओं के लिए लागत वसूली के लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए लक्ष्यों जैसे होने चाहिए जैसे कि सामान्य सेवाओं के लिए 12.5 वार्षिक वृद्धि दर तथा सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं के लिए 25 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर। (प्रस्तर 3.18)	संज्ञान में लिया। विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
6.	12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन पर राजस्व व्यय (ब्याज के शुद्ध भुगतानों तथा पेंशनों को घटाकर) का 35 प्रतिशत से अनधिक होना चाहिए। (प्रस्तर 3.19)	संस्तुति स्वीकार की गई।
7.	राज्य को व्यवसाय कर वसूल करने के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि यह राजस्व का बहुत तरलशील स्रोत है। उत्तराँचल के लिए इस कर के अपनाने का एक संभव विकल्प यह है कि वेतन अर्जन करने वालों सहित विभिन्न व्यवसायों पर समान दर रु0 500/– से करारोपण किया जाए। (प्रस्तर 3.26, 3.27)	संस्तुति स्वीकार नही की गई।

8.	राज्य को ऐसे 19 उद्योगों पर पर्यावरण या कार्बन कर लगाने के विषय में विचार करना चाहिए जो पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय द्वारा प्रदूषण उद्योग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यदि वे प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिवेशी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते। (प्रस्तर 3.28)	ऐसे उद्योग लगाने के अनुमति नहीं दी जाती है।
9.	राज्य को स्टेट इक्साइज डयूटी स्पिरिट तथा ऑल्कोहल के अधिकतम मूल्य जो कि उत्पाद के निर्माता मूल्य से संबद्ध हो पर लगाना चाहिए। मुख्य उत्पादों की लाइसेंस दरों की पुनःसंरचना की जानी चाहिए। (प्रस्तर 3.29, 3.30)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
10.	मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) की संरचना को युक्ति संगत बनाया जाए तथा कुछ सामग्रियों, जिनमें व्यापार के परिवर्तन की संभावना नहीं है, की दरों में वृद्धि की जा सकती है। ऐसी कुछ मदों पर जिन पर 4 प्रतिशत की दर से वैट लगता है, को हटा कर के सामान्य श्रेणी में ले जाया जा सकता है। (प्रस्तर 3.31)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
11.	मोटर व्हीकल कर तथा यात्री एवं माल कर को इस प्रकार युक्ति संगत बनाया जाए कि वह अन्य राज्यों के अनुरूप हो सके तथा राज्य को इस कर से अपेक्षित संसाधन प्राप्त हो सकें। कर प्रणाली को भी युक्ति संगत बनाए जाने की आवश्यकता है। (प्रस्तर 3.32)	संज्ञान में लिया। परिवहन विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
12.	राज्य को विद्युत, सिंचाई, उच्च शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं तथा अन्य चयनित आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के चरणबद्ध वृद्धि कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। इसकी मध्यकालीन रणनीति में निम्न कदम उठाए जाने चाहिएः–	

	i. कृषकों को कृषि, बागवानी,पशुपालन तथा रेशम कीटपालन में प्रदत्त सेवाओं और इन,पुट की पूर्ण लागत वसूली।	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
	ii. उच्च शिक्षा विशेष कर इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस में वृद्धि।	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
	iii. आय कर दाताओं पर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रभार में वृद्धि।	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
	iv. विद्युत क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के माध्यम से प्राविधिक क्षतियों (18 प्रतिशत) तथा व्यापारिक क्षतियों (17.33 प्रतिशत) पर नियंत्रण।	संस्तुति स्वीकार की गयी।
	v. राज्य के अन्तर्गत खनन किए गए रेत, बजरी तथा अन्य खनिज पदार्थों के राज्य से बाहर निर्यात को हतोत्साहित करने हेतु रायल्टी की दरों में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि (प्रस्तर 3.36)	औद्योगिकी विकास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–2390/VII-2/1857 दिनांक 05 अक्टूबर,2009 द्वारा अधिकांश खनिज पदार्थो पर रायल्टी की दरों में 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
	सम्पत्ति कर	
13.	क्षेत्रीय इकाई विधि पर आधारित स्वःकर निर्धारण प्रणाली को अपना कर सम्पत्ति कर की व्यवस्था को किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त तथा यथा संभव उद्देश्यपरक एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जैसा कि दिल्ली नगर निगम तथा देश के अन्य नगरों में किया गया है। (प्रस्तर 5.26)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

14.	सम्पत्ति कर की न्यूनतम दरें नगर पालिका परिषद के लिए वार्षिक किराया मूल्य की 12.5 प्रतिशत तथा नगर पंचायत के लिए 10 प्रतिशत तय की जानी चाहिए। इन दरों से कम पर सम्पत्ति कर वसूलने वाली नगर पालिकाओं को 3 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात वर्ष 2008–09 तक निर्धारित स्तर तक पहुँचने को कहा जाना चाहिए। (प्रस्तर 5.28)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
15.	नई टिहरी नगर पालिका परिषद तथा चम्बा एवं शक्तिगढ़ नगर पंचायतों द्वारा न केवल सम्पत्ति कर लागू करना चाहिए वरन् वर्ष 2008–09 तक अन्य नगर पंचायतों की भाँति 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचना भी चाहिए। (प्रस्तर 5.31)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
16.	बृहद नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्तियों के मापन के लिए आधुनिक भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) को अपनाया जाना चाहिए, ताकि छूटी हुई सम्पत्तियों का सम्पत्ति पंजी में अंकन किया जा सके। (प्रस्तर 5.33)	संस्तुति स्वीकार की गयी तथा प्रथम चरण में नगर निगम देहरादून क्षेत्र के लिए पाइलट आधार पर कार्य किया जा रहा है।
17.	राज्य सरकार को नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण पर अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। निश्चय ही इस विषय में नगरीय स्थानीय निकायों से परामर्श लेना चाहिए। नगरीय स्थानीय निकायें अपनी वित्तीय स्थति के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी पुनरीक्षण को स्वीकारने अथवा परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्रत होनी चाहिए। (प्रस्तर 5.36)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

18.	राज्य के निज राजस्व का दस प्रतिशत (ब्याज, प्रवृत्तियों, लाभाँश, मुनाफों, खनिजों की रायल्टी तथा वानिकी उत्पादों की विक्रय आय इत्यादि के अतिरिक्त) भाग का स्थानीय निकायों को, हमारे अधिनिर्णय काल के प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि (2006–07 से 2010–11) में अंतरण किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 6.13)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
19.	प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाओं का आयोग के प्रतिवेदन के अनुलग्नक II क में इंगित हिस्सा होना चाहिए। (प्रस्तर 6.34)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
20.	राज्य वित्त आयोग के स्थानीय निकायों के अंतरण के बड़े भाग को बुनियादी जन सुविधाओं यथा सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन नालियों तथा स्थानीय सड़कों आदि को प्रदान करने पर व्यय किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 6.36)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
21.	जिन ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं हैं, उनके द्वारा एक अर्ह व्यक्ति की नियुक्ति, जो वरीय रूप से उनके अपने क्षेत्र का ही समुचित मानदेय के भुगतान पर, जिसकी उच्चतम सीमा राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जा सकती है, की जानी चाहिए। (प्रस्तर 6.38)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी। शासन द्वारा 7541 ग्राम पंचायतों में तीन पंचायतों पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति हेतु 2409 पद सृजित किये गये है।

राजस्व संसाधनों का समनुदेशनः–

22.	नगरीय स्थानीय निकायों को अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी की पूरी शुद्ध प्राप्तियाँ मिलनी चाहिए। यदि राज्य सरकार एक भाग विकास प्राधिकरणों को देना चाहती है तो ऐसा राज्य सरकार द्वारा संग्रहित सामान्य स्टॉम्प ड्यूटी में से किया जा सकता है। (प्रस्तर 7.7)	अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है।

23.	राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी लगाने के साथ-साथ संग्रह के लिए संबंधित विधियों में संशोधन करना चाहिए। इससे संग्रहित धनराशि को संबंधित ग्राम पंचायत को जाना चाहिए तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में हस्ताँतरण अनुबंधों से वसूली गई स्टॉम्प ड्यूटी का 15 प्रतिशत पंचायत राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। (प्रस्तर 7.9)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
24.	अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी प्रत्येक मासान्त में जिला प्राधिकारियों द्वारा सीधे, स्थानीय निकायों को, उनके द्वारा दावा प्रस्तुत किए बिना, हस्ताँतरित की जानी चाहिए। (प्रस्तर 7.10)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
25.	विहित/विकास/विशेष/प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए गए विकास प्रभार, सुधार महसूल, भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क आदि की कुल राशि का 20 प्रतिशत भाग सम्बन्धित स्थानीय निकाय को प्रदान किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 7.11)	विभाग इस सम्बंध में मा० मंत्रिमण्डल से निर्णय कराये।
26.	राज्य सरकार द्वारा एक तीर्थ यात्री सह-पर्यटन कर रु० 10 प्रति तीर्थ/पर्यटक प्रति रात्रि होटलों सहित सभी प्रकार के अस्थाई आवास घरों धर्मशाला अतिथि गृहों, आश्रमों आदि पर (भले ही कोई आवासीय प्रभार देय न हो) आरोपित किया जाना चाहिए जिसे संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय/क्षेत्र पंचायत द्वारा वसूल किया जाए। (प्रस्तर 7.12)	विभाग इस सम्बंध में मा० मंत्रिमण्डल से निर्णय कराये।
27.	भू-राजस्व को उद्भव के आधार पर पूर्णतया ग्राम पंचायतों को समनुदेशित किया जाना है तथा राजतंत्र को भी भू-राजस्व का 50 प्रतिशत भू-कर ग्राम पंचायतों की ओर से वसूल करना है। (प्रस्तर 7.16)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी है।

28.	राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत प्रभार का 2 प्रतिशत पथ प्रकाश हेतु सभी उपभोक्ताओं द्वारा देय उपभोग प्रभार पर उपकर (सेस) लगाया जाना है जो उत्तराँचल विद्युत निगम लि0 (यू0पी0सी0एल0) द्वारा वसूल कर उसी को अपने पास रखना है। (प्रस्तर 7.18, 7.19)	विद्युत विभाग इस सम्बंध में मा0 मंत्रिमण्डल से निर्णय करायें।
	योजना अनुदान	
29.	ग्राम पंचायत को सभी ऐसे कार्यों, जो उसके क्षेत्र के लाभ के लिए हों, की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत को ऐसे काम उठाने चाहिए जो विकास खण्ड की एक से अधिक ग्राम पंचायत के लाभ के लिए हो तथा इसी प्रकार जिला पंचायत को स्वयं को अन्तर विकास खण्ड प्रकृति के कार्यों तक सीमित रखना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे कार्यक्रमों का निम्नतम दोनों वित्तीय तथा भौतिक प्रबोधन अपने अनुश्रवण दल क्षेत्रों में भेजकर करना चाहिए। (प्रस्तर 8.3)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
	घाटा अनुदान	
30.	स्थानीय निकायों को बिना वित्तीय रुकावटों के सफाई कार्यों के लिए वाँछित जन शक्ति लगाने की अनुमति होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के बावजूद यदि वे अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 8.10)	निकायों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्य कराने के लिये निकायों को अधिकार प्राप्त है।
31.	स्थानीय निकायों को कोई घाटा अनुदान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतरणोंपराँत उन सभी को राजस्व बचत की स्थिति में आने की आशा की जाती है। (प्रस्तर 8.13)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

	प्रोत्साहन अनुदान	
32.	सभी जिला पंचायतों को सम्पत्ति एवं विभव कर के माध्यम से प्रत्येक पाँच वर्ष में 2006–2011) कम से कम रु0 3.00 प्रति व्यक्ति वसूली प्राप्त करना है। (प्रस्तर 8.18)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
33.	सभी नगरीय स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष (2006–11) में कम से कम रु0 75 प्रति व्यक्ति वसूली प्राप्त करनी है। (प्रस्तर 8.19)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
34.	सभी जिला पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों को, जो पूर्ववर्ती संस्तुतियों में निहित मानकों को प्राप्त करती हैं एक अतिरिक्त अनुदान प्रोत्साहन अनुदान के रूप में जो उनके द्वारा की गई वसूली के समकक्ष हो, दिया जाना चाहिए। यह अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा मानकों की पूर्ति की जाती है, की समाप्ति के 3 मास के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 8.20)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
35.	जिला पंचायतें प्रोत्साहन अनुदान में कुछ अंशदान जिले की सभी या कुछ ग्राम पंचायतों की निधियों को उनके द्वारा सम्पत्ति तथा विभव कर की वसूली में दिए गए सहयोग के आधार पर देने में विचार कर सकते हैं। (प्रस्तर 8.20)	विभाग इस सम्बंध में मा0 मंत्रिमण्डल से निर्णय करायें।
36.	राज्य द्वारा एक 'प्रोत्साहन निधि' प्रस्तर 8.20 के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान हेतु जिसका सामान्य बजटीय तंत्र के माध्यम से जब और जैसे अपेक्षित हो प्रतिपूर्ण किया जा सके, की स्थापना की जानी चाहिए। (प्रस्तर 8.21)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

गैर निर्वाचित नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान

37.	राज्य की तीन गैर निर्वाचित स्थानीय निकायों को सामान्य अन्तरण के स्थान पर निम्नांकित अनुदान दिया जाना है:– बद्रीनाथ रू0 25 लाख प्रतिवर्ष केदारनाथ रू0 15 लाख प्रतिवर्ष गंगोत्री रू0 10 लाख प्रतिवर्ष (प्रस्तर 8.26)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
38.	उत्तरांचल राज्य को पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय तथा भत्ते देने के लिये वर्तमान विधिक प्राविधानों के संदर्भ में नियम बनाने चाहिए। चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किए जाने के कारण बिना आवश्यक नियमों के बनाए प्रदत्त स्तर का मानदेय एवं भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पंचायत के अन्य अधिकृत निर्वाचित पदाधिकारियों को निम्न इंगित मानक के अनुसार मानदेय भुगतान किया जा सकता है:– (धनराशि रू0 में) प्रतिमास उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 750 प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 750 उप प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 500 प्रधान, ग्राम पंचायत 500 उप प्रधान, ग्राम पंचायत 250 (प्रस्तर 8.29)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

39. जब कभी किसी निर्वाचित पदाधिकारी (जिन्हें उपर्युक्तानुसार मानदेय संस्तुत किया गया है उन्हें भी सम्मिलित करते हुये) को पंचायत की नियमित बैठकों के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित होने को कहा जाता है, वह रू0 200 बैठक शुल्क के लिये तथा वास्तविक व्यय की श्रेणी–1 के अधिकारी पर लागू नियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए भी हकदार होगा। बैठक शुल्क के साथ–साथ यात्रा व्ययों के लिए बैठक आहूत करने वाली संस्था/विभाग उत्तरदायी होगा तथा इसकी बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति को बैठक समाप्त होने के तुरन्त पश्चात भुगतान किया जायेगा।

(प्रस्तर 8.30)

संज्ञान में लिया। पंचायतीराज विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

40. निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान सुविधाजन्य बनाने के लिए, पंचायतों पर बिना किसी वित्तीय भार को डाले एक अतिरिक्त अनुदान जिसका नाम अधिष्ठान अनुदान होगा, प्रत्येक पंचायत संस्था को निम्न दर से दिया जायेगाः–

(धनराशि रू0 में) प्रतिवर्ष

प्रत्येक जिला पंचायत	9000
प्रत्येक क्षेत्र पंचायत	15000
प्रत्येक ग्राम पंचायत	9000

(प्रस्तर 8.31)

संस्तुति स्वीकार की गयी।

विशेष प्रयोजन

41. निम्नांकित स्थानीय निकायों को विशेष प्रयोजन अनुदानों की संस्तुति की जाती हैः–

अल्मोड़ा जिला पंचायत के अग्नि में नष्ट हुये कार्यालय भवन के पुनर्निमार्ण हेतु रू0 75 लाख।

संस्तुति स्वीकार की गयी।

	पौड़ी जिला पंचायत के एनेक्सी भवन निर्माणार्थ रू0 30 लाख। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद तथा भटवाड़ी क्षेत्र पंचायत को रू0 50 लाख भागीरथी नदी के तटों के विकास हेतु।	
	स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण	
42.	उत्तराँचल राज्य को पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अलग–अलग एक पंचायत राज संस्थाओं के लिए दूसरा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अधिनियम बनाना चाहिए। (प्रस्तर 9.2)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
43.	पंचायती राज संस्थाओं के अधिनियम में तीन स्तर की पंचायतों के अधिकारों का अलग–अलग सीमा विभाजन होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक स्तर के पास अधिकारों का ऐसा अद्वितीय सेट हो, जिनमें अच्छादन (ओवर लैंपिंग) न हो। (प्रस्तर 9.3)	संज्ञान में लिया। पंचायतीराज विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
44.	वन पंचायतों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समग्र मार्ग दर्शन तथा पर्यवेक्षण में रखा जाए तथा इसे सुविधाजन्य बनाने के लिए उत्तराँचल पंचायती वन नियम, 2001 में समुचित संशोधन किए जाए। (प्रस्तर 9.5)	आयोग की संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि वन पंचायत अपनी वार्षिक रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत करेंगी।
45.	संविधान की धारा '243 य घ' के प्राविधानों के अनुसार यथाशीघ्र जिला नियोजन समिति का गठन किया जाना चाहिए। (प्रस्तर 9.7)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

46.	अत्यंत कम आबादी वाली, छतरी हुई अलग–अलग ग्राम पंचायतों को समीपस्थ ग्राम पंचायत/पंचायतों में संविलियन किया जाय ताकि प्रत्येक ग्राम सभा की आबादी 300 से अधिक तथा कम से कम 200 की मतदाता आबादी हो। (प्रस्तर 9.9)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
47.	ग्राम सभा की बैठक बारी–बारी से ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम में आयोजित की जानी चाहिए। (प्रस्तर 9.10)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
48.	स्थानीय निकायों से उनके लेखाओं के लेखा परीक्षा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं की जानी चाहिए। स्थानीय निकायों के लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य आँतरिक लेखा परीक्षा विभाग की जनशक्ति में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। (प्रस्तर 9.15)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

सूचना प्रोद्यौगिकी

49.	संसाधन उद्यम योजना (ई0आर0पी0) को कुछ बड़ी नगरीय स्थानीय निकायों में लागू कर चरणबद्ध तरीके से धीरे–धीरे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में विस्तारित किया जाये, तदुपराँत पंचायती राज संस्थाओं में। (प्रस्तर 9.19)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
50.	गुजरात राज्य के इ–ग्राम छत्तीसगढ़ राज्य के ई–पंचायत की अवधारणा को उत्तराँचल में लागू करने की संभावना का पता लगाया जाए। (प्रस्तर 9.20)	ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण हेतु विचार किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार

51.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय पर की जा सकती है। उसे प्रधान तथा ग्राम पंचायत के, तथा उनके जरिए से जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। (प्रस्तर 9.28)	संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी है।
52.	क्षेत्र पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा प्रशासन के मध्य सम्पर्क सूत्र स्थापित किया जाए ताकि वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। (प्रस्तर 9.28)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
53.	स्थानीय निकायों को रिक्त पदों जिनकी आगे आवश्यकता नहीं है, को समाप्त करने तथा उन पदों के एवज में समकक्ष पद उन स्थानों में जहाँ अतिरिक्त कार्मिकों की जरुरत हो, सृजित करने का अधिकार प्रदान किया जाए। (प्रस्तर 9.28)	संज्ञान में लिया। नगर विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
54.	अन्य रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए तथा तदर्थवाद को समाप्त किया जाए। (प्रस्तर 9.28)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
55.	समस्त स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्विस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक उनके निर्वाचन के तुरंत बाद तथा दूसरा एक साल तक पद पर रहने की अवधि के पश्चात, आयोजित किया जाए। (प्रस्तर 9.28)	संस्तुति स्वीकार की गयी।
56.	अंतरणों के कार्य में अच्छादन को टाला जाना चाहिए तथा विभिन्न स्थानीय निकायों की उत्तरदायित्वों के पूरे करने की उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (प्रस्तर 9.28)	संज्ञान में लिया। नगर विकास/ग्राम्य विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

57.	पंचायती राज में उत्क्रम (हाईरै–की सिस्टम) होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने हवाले कार्यों का पर्यवेक्षण तथा जिला पंचायत को क्षेत्र पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। (प्रस्तर 9.28)	संज्ञान में लिया। पंचायतीराज विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
58.	राज्य वित्त आयोग से किसी भी प्रकार सम्बद्ध कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। (प्रस्तर 9.28)	संस्तुति स्वीकार की गयी।

देहरादून:: 17 मार्च, 2011

मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 बजट/452–14–3–2011–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन

वित्त विभाग

विषय–द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल द्वारा प्रवेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।

संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) व 243 (म) में इंगित व्यवस्था के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायतों के लिये संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार आदि के उपायों की संस्तुति देने हेतु इस प्रदेश में "द्वितीय राज्य वित्त आयोग" का गठन 30 अप्रैल, 2005 को किया गया था। इस आयोग ने अप्रैल, 2006 से मार्च, 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में प्रदेश की स्थानीय निकायों तथा पंचायतों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से संक्रमित की जाने वाली धनराशि तथा इनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की वित्तीय संक्रमण से संबंधित संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

1–नगरीय स्थानीय निकायों को संक्रमण

आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों हेतु यथा संस्तुत धनराशियों का संक्रमण इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जिन निकायों को संस्तुत संक्रमण में वित्तीय वर्ष 2005–06 में संक्रमित धनराशि की तुलना में कमी हो रही है उन निकायों को मिलने वाली धनराशि में कमी न की जाय तथा उन्हें पूर्व में मिलने वाली धनराशि ही संक्रमित की जाय। संस्तुत धनराशि का संक्रमण अन्तरिम रूप से आयोग द्वारा संस्तुत प्रक्रियानुसार किया जाय।

2–पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमण

जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के सन्दर्भ में भी निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा यथा संस्तुत धनराशियों का संक्रमण अन्तरिम रूप से आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियानुसार किया जाय।

3–अन्य संस्तुतियां

आयोग की अन्य संस्तुतियों पर उनके वित्तीय, व्यावहारिक व अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्यमंत्री।

देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2006

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 वित्त/381–06–10–2006–250 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।